अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 07/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 495(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्षक 2709 के अधीन आने वाले कच्चे पेट्रोलियम जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अपने कच्चे पेट्रोलियम उत्पादन से अधिक है, को, उस पर उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उस पर उद्ग्रहीत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देती है।

स्पष्टीकरण : वित्तीय वर्ष, 2022-23 के लिए, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ऐसे परिमाप पर लागू नहीं होगा जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए अपने कच्चे पेट्रोलियम उत्पादन को पार करने के तुरंत पश्चात् उत्पादित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 07/2022-Central Excise

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the crude petroleum, falling under heading 2709 of the of the Fourth Schedule to the Central Excise Act 1944, produced by a person which is in excess of crude petroleum oil produced by such person during the preceding Financial Year, from the whole of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002.

Explanation: For the Financial year, 2022-23, the Special Additional Excise Duty shall not apply to such quantity that is produced by a person immediately after exceeding his production of crude petroleum oil during the Financial Year 2021-22.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 08/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 496(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, उन वस्तुओं को जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, को उस समय जब उनको निर्यात के लिए क्लीयर कर दिया गया हो, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट शुल्कों से पूरी तरह छूट प्रदान करती है।